

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1405/2011

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1405/2011

संस्थापित दिनांक 14/12/2011

फाईलिंग नम्बर—230303002612011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मालनपुर, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. मनीष उर्फ मन्नु पुत्र उदयभान शर्मा उम्र—27वर्ष
व्यवसाय दुकानदारी निवासी ग्राम खडेहार
जिला मुरैना म0प्र0
- फरार— 2. रामनिवास पुत्र महावीर सिंह चौहान

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—379 भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार ।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री कमलेश शर्मा ।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 09/02/2017 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 21/09/11 को शाम लगभग 6:00 बजे अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल से किराने की दुकान के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर फरियादी बुलाकी सिंह के आधिपत्य से उसकी हीरो होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 कीमत लगभग 20,000/-रूपये फरियादी बुलाकी सिंह की सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 379 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21/09/11 को फरियादी बुलाकी सिंह अपने गांव लक्ष्मणगढ से सौदा लेने अपनी मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.07एम.एल.0849 से मालनपुर आया था शाम करीबन साढ़े 6 बजे थे वह अपनी मोटरसायकिल को अमर सिंह के किराने की दुकान अंग्रेजी शराब की दुकान के पास खड़ी करके सामने सड़क पर पेशाब करने के लिये चला गया था पेशाब करके वापिस आया था तो उसने देखा था कि उसकी मोटरसायकिल वहां नहीं थी । उसका भतीजा रामलखन व नरेश कोरी भी मौके पर आ गये थे उन तीनों लोगों ने आसपास मोटर सायकिल की तलाश

की थी तो मोटरसायकिल नहीं मिली थी कोई अज्ञात चोरी मोटरसायकिल को चुराकर ले गया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मालनपुर में अप0क0157/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस थाना कोतवाली मुरैना के ए0एस0आई दलेल सिंह यादव को कस्बा भ्रमण के दौरान यह सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति ईट भट्टे के पास आउटर तुस्सीपुरा मोटरसायकिल बेचने की फिराक में खड़ा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मौके पर पहुंचा था तो उसने देखा था कि दो व्यक्ति मोटरसायकिल लिये हुये खड़े थे एक व्यक्ति मौके से भाग गया था एवं एक व्यक्ति पकड़ा गया था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मनीष उर्फ मन्नू वैशान्दर बताया था एवं भागने वाले व्यक्ति का नाम रामनिवास बताया था। आरोपी मनीष के पास मोटरसायकिल जिसका चैंसिंस नम्बर एम.पी.एल.एच.ए.11ई.एम.बी.9सी.01405 एवं इंजन नं.एच.ए.11 ई.सी.बी.9.बी.38441 था से संबंधित कोई कागजात नहीं पाये गये। आरोपी मनीष से उसके द्वारा मौके पर ही मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती की कार्यवाही की गई थी एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात उसके द्वारा थाना कोतवाली मुरैना में [अप0क0597/11](#) पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान यह जानकारी मिलने पर [अप0क0597/11](#) में जप्तशुदा मोटरसायकिल से संबंधित अपराध थाना मालनपुर में [अप0क0157/11](#) पर पंजीबद्ध हैं। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मुरैना के आदेश दिनांक 02/11/11 के अनुसार कोतवाली मुरैना के [अप0क0597/11](#) की कैस डायरी थाना मालनपुर के [अप0क0157/11](#) में शामिल की गई एवं तत्पश्चात [अप0क0157/11](#) की विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द0प्र0स0की धारा313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है उसे प्रकरण मे झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :-

1. क्या दिनांक 21/09/11 को शाम 6:00बजे अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल से किराने की दुकान के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड से फरियादी बुलाकी सिंह के आधिपत्य से उसकी हीरो होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 की चोरी हुई?

2. क्या उक्त चोरी आरोपी द्वारा ही कारित की गई?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01,रामलखन आ0सा02,नरेश आ0सा03,अशोक आ0सा04,जगदीश शर्मा आ0सा05,एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सा06 प्र0आर0 ज्ञानचन्द्र आ0सा07 एवं से0नि0थाना प्रभारी होतम सिंह आ0सा08 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के

समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालीन कथन से लगभग 02 साल पहले की नवे महीने की है। घटना दिनांक को वह मालनपुर वियरवार के बगल में स्थित दुकान से किराने का सामान ले रहा था वह मालनपुर अपनी मोटरसायकिल से गया था वह पढा लिखा नहीं है इस कारण मोटर सायकिल का नम्बर नहीं बता सकता है वह मोटरसायकिल का रजिस्ट्रेशन लेकर आया हैं। उसने अपनी मोटरसायकिल जहां से वह सामान खरीद रहा था वहां से 10 फुट की दूरी पर खडी थी जब वह सौदा लेकर निकला तो उसने देखा था कि उसकी मोटरसायकिल नहीं थी उसने मोटरसायकिल की तलाश की थी तो मोटरसायकिल नहीं मिली थी उसकी मोटरसायकिल हीरो होण्डा डीलेक्स कंपनी की थी। उसने चोरी की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने थाना मालनपुर में मोटरसायकिल मिलने की सूचना दी थी जो प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी मोटरसायकिल अमर सिंह की दुकान पर खडी कर दी थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि मोटरसायकिल खडी करके वह दूसरी तरफ बाथरूम के लिये चला गया था एवं जब वह लौटकर आया था तो उसे मोटरसायकिल नहीं मिली थी उसके बाद उसका भतीजा रामलखन एवं नरेश कोरी आ गये थे तलाश करने पर एवं रिश्तेदारों के बताने पर वह सिटी कोतवाली मुरैना पहुंचा था वहां उसने अपनी गाडी कोतवाली में खडी हुई देखी थी। जिसकी सूचना उसने थाना मालनपुर में दी थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्र06 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चोरी गई मोटरसायकिल सिविल लाईन मुरैना में आत्माराम टी0आई के साथ जाने पर पहचानी थी और इसकी सूचना मालनपुर में लिखित में दी थी।

8. साक्षी रामलखन आ0सा02 एवं नरेश आ0सा03 ने भी फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है तथा घटना दिनांक को फरियादी बुलाकी सिंह की मोटरसायकिल चोरी होने बाबत प्रकटीकरण किया है।

9. इस प्रकार फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 ने अपने कथन में घटना दिनांक को उसकी मोटरसायकिल चोरी होना बताया है उक्त साक्षी द्वारा मोटरसायकिल का रजिस्ट्रेशन भी साक्ष्य के दौरान पेश किया गया है जिसके अनुसार चोरी गई मोटरसायकिल का नम्बर एम.पी.07 एम.एल.0849 था। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी का प्राप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 चोरी होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। साक्षी रामलखन आ0सा02 एवं नरेश आ0सा03 ने भी उक्त बिन्दु पर फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना वाले दिन बुलाकी सिंह की मोटरसायकिल चोरी होने बाबत प्रकटीकरण किया है। प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी बुलाकी सिंह की मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.ए.0849 चोरी होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 का कथन प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। अतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी बुलाकी सिंह की मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 की चोरी हुई थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

10. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या चोरी आरोपी द्वारा ही कारित की गई? उक्त

संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 द्वारा प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में की गई थी। फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि घटना वाले दिन वह मालनपुर बियर वारमें स्थित दुकान से किराने का सामान लेने गया था और उसने अपनी मोटरसायकिल वहां से 10 फुट की दूरी पर खड़ी कर दी थी जब वह सौदा लेकर निकला था तो उसने देखा था कि उसकी मोटरसायकिल वहां पर नहीं थी उसने मोटरसायकिल की तलाश की थी परन्तु मोटरसायकिल नहीं मिली थी उसने घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में की थी जो प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी मोटरसायकिल अमर सिंह की दुकान पर खड़ी कर दी थी एवं वह बाथरूम करने चला गया था तथा जब वह लौटकर आया था तो उसे मोटरसायकिल नहीं मिली थी उसके बाद उसका भतीजा रामलखन एवं नरेश कोरी आ गये थे। फिर उसने थाना कोतवाली मुरैना में अपनी मोटरसायकिल खड़ी हुई देखी थी जिसकी सूचना उसने थाना मालनपुर को दी थी। उसकी मोटरसायकिल को रामनिवास और सोनू ले गये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्र05 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में की थी।

11. साक्षी रामलखन आ0सा02 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालीन कथन से लगभग 2-3 साल पहले वह अपने चाचा बुलाकी के साथ सामान लेने के लिये मोटरसायकिल से मालनपुर आया था मोटरसायकिल नरेश की दुकान के सामने खड़ी करके वह किराने की दुकान पर सामान लेने चले गये थे जब लौटकर आया था तो मोटरसायकिल नहीं मिली थी नरेश ने उसे बताया था कि मोटरसायकिल मनीष ले गया है और उसके साथ दो लोग और थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि नरेश ने किसी को भी मोटरसायकिल ले जाते हुये नहीं देखा था एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने भी किसी को मोटरसायकिल ले जाते हुये नहीं देखा था। पद क्र03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह नरेश के बताये अनुसार मनीष का नाम बता रहा है।

12. साक्षी नरेश आ0सा03 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन बुलाकी मालनपुर पर अपनी मोटरसायकिल खड़ीकर के दुकान पर सौदा लेने गया था। जब वह वापिस आया था तो उसे मोटरसायकिल नहीं मिली थी बुलाकी की हीरो होण्डा मोटरसायकिल को मनीष और दो लड़के जिनका नाम उसे याद नहीं है चोरी करके ले गये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने मोटरसायकिल की चोरी नहीं हुई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने न तो मनीष नाम के व्यक्ति को देखा था और न ही उसके साथ के लोग देखे थे उसने मनीष एवं उसके साथ दो लड़कों को देखने वाली बात और लोगों के कहने पर बताई थी।

13. एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सास06 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 01/10/11 को थाना सिटी कोतवाली मुरैना में पदस्थ था एवं उक्त दिनांक को वह कस्बा भ्रमण के लिये मय फोर्स माहौर चौराहा धोबी वाली गली में था वहां उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति चोरी की मोटरसायकिल लिये आउटर तुस्सीपुरा पर मोटरसायकिल बेचने की फिराक में खड़े हैं। सूचना की तस्दीक हेतु वह मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था तो वहां उसे दो व्यक्ति मोटरसायकिल लिये हुये दिखे थे जिनकी घेराबंदी की थी एक व्यक्ति ईट भट्टों की आड़ लेकर भागा गया था तथा एक व्यक्ति को मौके पर पकड़कर नाम पता पूछा था तो उसने अपना नाम मनीष उर्फ मन्नू वैशान्दर बताया था मोटरसायकिल के कागजात चाहें तो उसने कोई कागजात न होना बताया था भागने वाले व्यक्ति का नाम

रामनिवास चौहान बताया था पुनः मोटरसायकिल के बारे में पूछा था तो रामनिवास चौहान से दो हजार रुपये में सौदा होकर खरीदना बताया था। उसने मौके पर ही साक्षी अशोक खटीक एवं प्र0आर0 ज्ञानचन्द्र के समक्ष हीरो होण्डा मोटरसायकिल जिसका इंजन नम्बर एवं चैचिस नम्बर प्र0पी05 में वर्णित है जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी मनीष शर्मा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं थाना वापिस लौटकर उसने प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे 10:00 बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना स्थल पर वह 11:20 बजे पहुंच गये थे एवं 11:30 बजे उसने मोटर सायकिल जप्त की थी उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्र0पी05 के प्रक्रिया नम्बर पर काटपीट कर 8 की जगह 7 बनाया है एवं प्र0पी011 में दिनांक 09 की जगह काटकर 1 बनाया है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने प्र0पी06 में प्रक्रिया नम्बर पर काटपीट की हैं एवं प्र0पी09 में 08 की जगह काटकर 7 किया गया है।

15. साक्षी ज्ञानचन्द्र आ0सा07 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 01/09/11 को थाना मालनपुर के दरोगा कोतवाली मुरैना पर पहुंचे थे फिर वह उसे व आरक्षक कामता को साथ लेकर फाटक बाहर तुस्सीपुरा माहौर चौराहे पर पहुंचे थे उन दरोगा जी को मोबाईल पर सूचना मिली थी कि मोटरसायकिल चोरी के दो व्यक्ति ईट भट्टों के पास तुस्सीपुरा मुरैना में खड़े हैं रास्ते में साक्षी अशोक मिला था उसे साथ ले लिया था जब ईट भट्टों के पास पहुंचे थे तो दो व्यक्ति उन्हें देखकर भागने लगे थे उन्हें पकड़कर नाम पता पूछा था तो एक ने अपना नाम मनीष और एक ने अपना नाम रामनिवास बताया था। मनीष के कब्जे से हीरो होण्डा मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 एवं प्र0पी011 बनाया था जिनके क्रमशः सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना स्थल के लिये वह और कामता सिंह मालनपुर के दरोगा जी के साथ गये थे मालनपुर के दरोगा जी का नाम देवेन्द्र सिंह था जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही मालनपुर के दरोगा जी ने की थी। दरोगा जी के साथ मालनपुर का फोर्स था उसे मालूम नहीं है कि जप्ती किस अपराध में की गई थी।

16. साक्षी अशोक आ0सा04 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी मुन्नु बैशान्दर को नहीं जानता है पुलिस ने उसके सामने कभी भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया था और न ही कोई गाड़ी जप्त की थी उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी मनीष से उसके सामने मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया गया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि उसके सामने आरोपी मनीष को गिरफ्तार किया गया था उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है।

17. जगदीश शर्मा आ0सा05 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने अपने न्यायालीन

कथन से तीन चार साल पहले आरोपी मनीष को थाने पर हाजिर कराया था गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. से0नि0थाना प्रभारी होतम सिंह आ0सा08 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

19. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

20. प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 द्वारा प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में की गई है यद्यपि बुलाकी सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसकी मोटरसायकिल रामनिवास और सोनू ले गये थे। परन्तु प्रतिपरीक्षण द्वारा उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की थी। इसके अतिरिक्त फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसकी मोटर सायकिल को रामनिवास और सोनू ले गये थे परन्तु यह बात उसके द्वारा प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। साक्षी रामलखन आ0सा02 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे नरेश ने बताया था कि मोटरसायकिल को मनीष ले गया है एवं मनीष के साथ दो लोग और भी थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने किसी को भी मोटरसायकिल ले जाते हुये नहीं देखा था तथा नरेश ने भी किसी को मोटरसायकिल ले जाते हुये नहीं देखा था एवं नरेश ने उससे कहा था कि मनीष अपने दो साथियों के साथ मोटरसायकिल चोरी करके ले गया है इसलिये वह नरेश के अनुसार मनीष का नाम बता रहा है। इस प्रकार रामलखन आ0सा02 के कथनों से यह प्रकट होता है कि उक्त साक्षी ने स्वयं आरोपी मनीष को मोटरसायकिल ले जाते हुये नहीं देखा था एवं उसने नरेश के बताये अनुसार मनीष का नाम बताया है।

21. जहां तक नरेश आ0सा03 के कथन का प्रश्न है तो नरेश आ0सा03 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि बुलाकी की हीरो होण्डा मोटरसायकिल मनीष और दो लडके चोरी करके ले गये थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि उसके सामने मोटरसायकिल की चोरी नहीं हुई थी उसने मनीष को नहीं देखा था एवं उसने मनीष और उसके साथ दो लडकों वाली बात और लोगों के कहने पर बताई थी। इस प्रकार नरेश आ0सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभाषी रहे हैं उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने स्वयं मनीष को चोरी करते हुये नहीं देखा था एवं उसने सुनी सुनाई बात बताई थी।

22. इस प्रकार फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01, रामलखन आ0सा02 एवं नरेश आ0सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने आरोपी मनीष को मोटरसायकिल ले जाते हुये नहीं देखा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी मनीष से फाटक बाहर ईट भट्टे के पास तुस्सीपुरा मुरैना में मोटरसायकिल जप्त की गई थी। उक्त संबंध में एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सा06 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसे दिनांक 01/10/11 को सिटी कोतवाली मुरैना में कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी एवं सूचना प्राप्त होने पर वह मुखबिर के

बताये अनुसार तुस्सीपुरा पहुंचा था जहां दो व्यक्ति उसे मोटरसायकिल लिये दिखे थे जिनमें से एक व्यक्ति भाग गया था एवं एक व्यक्ति को पकड़ लिया था नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम मनीष बताया था तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम रामनिवास बताया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने मोके पर ही साक्षी अशोक खटीक एवं ज्ञानचन्द्र के समक्ष आरोपी मनीष से मोटर सायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एवं आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 बनाया था जिनके क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

23. इस प्रकार दलेल सिंह यादव आ0सा06 ने गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होना एवं सूचना प्राप्त होने पर फाटक बाहर ईट भटटे के पास तुस्सीपुरा से आरोपी मनीष से मोटरसायकिल जप्त करना एवं मनीष को गिरफ्तार करना बताया है तथा इसके पश्चात थाना वापिस आकर थाना कोतवाली मुरैना में अप0क्र0597/11 पर प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। दलेल सिंह यादव आ0सा06 के कथनानुसार उसके द्वारा ईट भटटे के पास तुस्सीपुरा मुरैना में आरोपी मनीष से मोटरसायकिल जप्त की गई थी एवं मनीष को गिरफ्तार किया गया था तथा इसके बाद थाने पर वापिस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0क्र0597/11 पर लेखबद्ध की गई थी परन्तु जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 में अप0क्र0597/11 लेख हैं यदि वास्तव में दलेल सिंह आ0सा06 द्वारा प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की लिखा पढी ईट भटटो के पास तुस्सीपुरा मुरैना में की गई थी तो उस स्थिति में प्र0पी05 एवं प्र0पी06 के पंचनामों पर अपराध क्रमांक अंकित नहीं होना चाहिये था क्योंकि उस समय तक आरोपी के विरुद्ध प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं की गई थी परन्तु प्र0पी05 एवं प्र0पी06 के पंचनामों पर अपराध क्रमांक 597/11 लेख है एवं उसमें काटपीट भी की गई है तथा उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में यही संदेहास्पद हो जाता है कि आरोपी से अभियोजन कहानी के अनुसार तुस्सीपुरा मुरैना में जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के अनुसार मोटरसायकिल जप्त की गई थी एवं प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की कार्यवाही की गई थी उक्त तथ्य से यह संदेहास्पद हो जाता है कि प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की लिखा पढी ईट भटटे के पास तुस्सीपुरा मुरैना में की गई थी। उक्त तथ्य अत्यन्त तात्विक है जो संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को ही संदेहास्पद बना देता है।

24. दलेल सिंह यादव आ0सा06 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 01/10/11 को आरोपी मनीष को ईट भटटो के पास तुस्सीपुरा में गिरफ्तार किया था एवं उससे साक्षी ज्ञानचन्द्र एवं अशोक खटीक के समक्ष मोटरसायकिल जप्त की थी। दलेल सिंह यादव आ0सा06 स्वयं आरोपी मनीष से मोटरसायकिल से जप्त करना आरोपी मनीष को गिरफ्तार करना एवं प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की लिखा पढी करना बताया है और यह भी बताया है कि उक्त कार्यवाही उसके द्वारा आरक्षक ज्ञानचन्द्र और साक्षी अशोक खटीक के समक्ष की गई थी परन्तु साक्षी ज्ञानचन्द्र आ0सा07 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि घटना दिनांक को वह मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह एवं आरक्षक कामता सिंह के साथ तुस्सीपुरा गया था तथा मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह को मोबाईल पर मोटरसायकिल के संबंध में सूचना मिली थी एवं मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह ने ही आरोपी मनीष से मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 एवं प्र0पी011 बनाया था। इस प्रकार ज्ञानचन्द्र आ0सा07 जो कि जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का साक्षी है ने प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की लिखा पढी थाना मालनपुर के ए0एस0आई देवेन्द्र सिंह यादव द्वारा करना बताया गया है जबकि एस0आई दलेल सिंह आ0सा06 का कहना है कि उक्त कार्यवाही उनके द्वारा की गई थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर

साक्षी दलेल सिंह यादव आ0सा06 एवं ज्ञानचन्द्र आ0सा07 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो समस्त कार्यवाही के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

25. एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सा06 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि दिनांक 01/10/11 को उसे दौरान गश्त मोटरसायकिल के संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी जबकि प्र0आर0ज्ञानचन्द्र आ0सा07 का कहना है कि उक्त सूचना थाना मालनपुर के दरोगा जी को मिली थी ज्ञानचन्द्र आ0सा07 द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दलेल सिंह भी उसके साथ गये थे इसके अतिरिक्त दलेल सिंह आ0सा06 द्वारा यह बताया गया है कि मौके पर दो व्यक्ति मोटरसायकिल लिये दिखे थे जिनमें से एक व्यक्ति ईट भट्टो की आड़ लेकर भाग गया था जबकि दूसरा पकड़ा गया था उसने अपना नाम मनीष बताया था तथा पूछने पर भागने वाले व्यक्ति का नाम रामनिवास बताया था। इस प्रकार एस0आई दलेल सिंह आ0सा06 के कथनानुसार उनके द्वारा मौके पर केवल आरोपी मनीष को पकड़ा गया था जबकि ज्ञानचन्द्र आ0सा07 का कहना है कि वह मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह एवं कामता सिंह के साथ मौके पर गया था जहां दो व्यक्ति उसे देखकर भागने लगे थे जिनका नाम पता पूछा था तो उनमें से एक ने अपना नाम मनीष एवं एक ने अपना नाम रामनिवास बताया था। इस प्रकार ज्ञानचन्द्र के कथनानुसार मौके पर मनीष एवं रामनिवास दोनों को पकड़ लिया गया था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी एस0आई दलेल सिंह आ0सा06 एवं ज्ञानचन्द्र आ0सा07 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं एस0आई दलेल सिंह ने जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 की लिखा पढी स्वयं करना बताया है एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है परन्तु जप्ती पंचनामा प्र0पी05 में अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी का नाम ए0एस0आई देवेन्द्र सिंह यादव लिखा हुआ है जबकि दलेल सिंह आ0सा06 का कहना है कि उक्त कार्यवाही उसके द्वारा की गई थी एवं प्र0पी05 के साक्षी ज्ञानचन्द्र आ0सा07 का कहना है कि प्र0पी05 की कार्यवाही थाना मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई थी जप्ती पंचनामा प्र0पी05 में अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के रूप में दलेल सिंह यादव का नाम भी अंकित नहीं है उक्त सभी तथ्य संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

26. एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सा06 ने साक्षी ज्ञानचन्द्र एवं अशोक के समक्ष आरोपी मनीष से मोटरसायकिल जप्त करना बताया है जबकि ज्ञानचन्द्र आ0सा07 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उक्त कार्यवाही थाना मालनपुर के दरोगा जी ने देवेन्द्र सिंह यादव ने की थी। साक्षी अशोक आ0सा04 द्वारा भी दलेल सिंह आ0सा06 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है। इस प्रकार ए0एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सा06 के कथन का समर्थन अशोक आ0सा04 एवं प्र0आर0 ज्ञानचन्द्र आ0सा07 द्वारा भी नहीं किया गया है उपरोक्त तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

27. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 द्वारा चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की गई है एवं बुलाकी सिंह आ0सा01, रामलखन आ0सा02 तथा नरेश आ0सा03 के कथनों से यह भी दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने आरोपी मनीष को मोटरसायकिल ले जाते हुये नहीं देखा था। प्रकरण में फरियादी द्वारा चोरी की रिपोर्ट

अज्ञात में की गई है एवं जहां चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की जाती है वहां जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के साक्षियों की साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सा06 के कथन साक्षी अशोक आ0सा04, एवं प्र0आर0ज्ञानचन्द्र आ0सा07 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह ही संदेहास्पद है कि प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की कार्यवाही किसके द्वारा की गई हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता हैं।

28. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता हैं अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

29. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 19/09/11 को शाम लगभग 6:00 बजे अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल से किराने की दुकान के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर फरियादी बुलाकी सिंह के आधिपत्य से उसकी मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 कीमत लगभग 20,000/-रूपये फरियादी बुलाकी सिंह की सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी मनीष उर्फ मन्तू वैशान्दर को भादस की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

30. आरोपी मनीष पूर्व से जमानत है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

30. प्रकरण में आरोपी रामनिवास चौहान फरार है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एवं प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जावे। उक्त संबंध में प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जायें।

स्थान – गोहद

दिनांक –09 –02–2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)